Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक–522 /24(2)याता0'क'/2017 दिनांक– 30.08.2017

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
लोक निर्माण अनुभाग–2,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

विषयः– **जनपद नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग के किमी0 54 में कोसी नदी पर प्रीस्ट्रस कंक्रीट सेतु के निर्माण लोक निजी सहभागिता (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) प्रणाली के तहत निर्माण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **शासकीय पत्र संख्या–2093/।।।(2)–17–24(प्रा0आ0)/2006 दिनांक–17.08.2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद नैनीताल में हल्द्वानी रामनगर मोटर मार्ग के किमी0 54 में कोसी नदी पर प्रीस्ट्रस कंक्रीट सेतु के निर्माण लोक निजी सहभागिता (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) प्रणाली के अन्तर्गत निर्माणाधिन कार्य के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी में अपने पत्रांक–6886/ 27याता0 –हल्द्वानी/2016 दिनांक–17.11.2016 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में प्रकरण से सम्बन्धित आख्या प्रेषित की गयी है। संलग्न–1

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक–4425/27याता0–हल्द्वानी /2017 दिनांक–04.08.2017 द्वारा उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति आख्या शासन को प्रेषित की गयी संलग्न–2 मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी द्वारा पुनः अपने पत्रांक–5079/27याता0–हल्द्वानी/2017 दिनांक–30.08. 2017 द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि PPP मोड के अन्तर्गत उक्त कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या–4700/।।।(2)–11–24(प्रा0आ0)/2006 दिनांक–01.11.2011 द्वारा रू0 26. 00 करोड़ की प्रदान की गयी जिसके विरूद्व अनुबन्ध संख्या–06/एस0ई0–2/11–12 दिनांक–21.10.2011 द्वारा कंसेसनर मैसर्स वशिष्टा कंस्ट्रशन प्रा0लि0 हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कंसेशन पीरियड 25 वर्ष में Annuty की धनराशि रू0 3.30 करोड़ प्रतिवर्ष देय है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 08.02.2012 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 07.08.2013 थी पूर्व में राज्य स्तरीय स्टरिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कंसेसनर को दिनांक–30.09.2014 तक समयवृद्धि प्रदान की गयी है परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कंसेसनर को लगातार निरीक्षण तथा पत्रों के माध्यम से कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु लिखा गया है। पूर्व मे शासन स्तर पर दिनांक–26.10.2016 को हुई बैठक के दौरान कंसेसनर के प्रतिनिधि श्री बी0एस0 रामाराजू द्वारा कार्य की प्रगति में वित्तीय संशाधनों के कारण हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था। तथा बैंक द्वारा लिये गये लोन पर ब्याज चार्ज करने के कारण कैश फ्लो/लिक्विडिटी की समस्या आ रही है जिससे अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक–17.11.2016 द्वारा प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है। जिसके तहत कंसेसनर के पत्र दिनांक–28.10.2016 की प्रति संलग्न करते हुए प्रथम Annuty के रूप में भुगतान करने हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया था।

Scanned by CamScanner

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 70 प्रतिशत हो चुकी है कंसेसनर के प्रतिनिधि के साथ समय–समय पर हुई बैठकों तथा वार्ता के कम में यह स्पष्ट हो रहा है कि कंसेसनर कार्य पूर्ण करने में इच्छुक है तथा अपने संशाधनों से कार्य पूर्ण करने का प्रयास भी कर रहा है। यदि कंसेसनर को टर्मीनेट करने का निर्णय लिया जाता है तो कंसेसनर एग्रीमैन्ट के आर्टीकल 17:Event of Default of Temination के अन्तर्गत 17.2-3 के तहत लोक निर्माण विभाग को 90% of the Debt भुगतान कंसेसनर को करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त डी0पी0आर0 शासन द्वारा 1 सितम्बर 2011 को स्वीकृत की गयी है जो की 2011–12 के SOR पर अधारित है। यदि कंसेसनर के वर्तमान एग्रीमेन्ट को टर्मीनेट करते हुए अवशेष कार्य हेतु पुनः DPR गठित करते हुए स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है तो उसकी लागत प्राइस इनडैक्स के आधार पर वर्तमान में अवशेष 30% (रू0 7.80 करोड़) कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग रू0 8.80 करोड़ की लागत आयेगी।

उपरोक्त परिपेक्ष में PPP मोड़ के तहत कार्य पूर्ण करने हेतु कंसेसनर के पत्र दिनांक–28.10. 2016 पर उनके द्वारा Advance में प्रथम Annutiy रू0 3.30 करोड़ की मांग पर निर्णय लिया जाना उचित होगा जिस पर इस प्रतिबन्ध के साथ विचार किया जा सकता है कि प्रथम Annuity के भुगतान पर नियमानुसार आवश्यक Interest का भुगतान प्रथम Annuity due होने तक देय होगा तथा इसके अतिरिक्त Security के रूप में बैंक गारन्टी उसके स्तर से देय होगी।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य हेतु नामित इन्डीपैन्डैन्ट इंजीनियर मैसर्स टैक्निकल कंसलटैन्सी सर्विसेस द्वारा अपने पत्र दिनांक–28.08. 2017 में भी इस कार्य को पूर्ण करने में आ रही कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए प्रथम Annutiy के भुगतान करने पर अपनी सहमति दी गयी है। कंसेसनर द्वारा यह भी आवश्वासन दिया गया है कि सितम्बर 2017 में प्रथम Annutiy का भुगतान होने पर वे इस कार्य को मार्च 2018 तक पूर्ण कर देंगे।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा दी गयी आख्या/किये गये अनुरोध पर Advance में प्रथम Annutiy रू0 3.30 करोड़ प्रथम Annutiy का भुगतान किये जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि प्रथम Annutiy के भुगतान पर कंसेसनर द्वारा नियमानुसार आवश्यक Interest का भुगतान प्रथम Annutiy due होने तक देय होगा तथा इसके अतिरिक्त Security के रूप में बैंक गारन्टी उनके स्तर से देय होगी।

संलग्नकः– पत्रानुसार।

(इं0 आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–1,(मु0)

30/8/17

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को उनके उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री आर0पी0 भट्ट तकनीकी सलाहकार उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लोक निर्माण विभाग नैनीताल को उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर को उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,(मु0)

Scanned by CamScanner